

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक- 18 अगस्त, 2020
विषय- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अधीन का वितरण एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की कठिपय संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित विचारपरान्त निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

2- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धनराशि का फार्मूला:-

2.1- पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत अनुसार (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

2.2- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बैटवारा जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

2.3- जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बैटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

2.4- उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायत हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बैटवारा क्षेत्र पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या को भार देते हुए किया जायेगा।

2.5- जिला पंचायत हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बैटवारा प्रदेश की जिला पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का भार देते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रगाणितता वैय साइट <https://shasandeshi.upnivsys.in> पर संतापित की जा सकती है।

3- पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्पारण-

पंचायतीराज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण अध्ययन, छासण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आव्रत्ति व्यय के लिए यागीण लिकायी हेतु

३ प्रतिवर्षी संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु ०.१५ प्रतिवर्ष धनराशि मात्राकृति विधि जारी। यह ग्राम्यकृति धनराशि व्ययगत (लैप्स) या व्यावर्तित (डाइवर्ट) नहीं होगी।

4- संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्तः-

संक्रमण की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियन्त्रित कार्य करा सकेंगी:-

(i) शासकीय भवनों की रख-रखाव। ✓

(ii) स्ट्रीट लाइट। ✓

(iii) खुले से शौच से मुक्ति (३००३०० एक्को)। ✓

(iv) शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देशकों का अपत्ति। ✓

(v) पंचायत की सँडिकों का निर्माण एवं रख-रखाव। ✓

(vi) पेयजल घोजनाओं का निर्माण के रख-रखाव। ✓

(vii) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ✓

(viii) सामुदायिक शौचालयों/जन सुविधायें। ✓

(ix) अन्तर्येष्टि स्थल की बित्तनी। ✓

ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से नियुक्त जाता है। कृकि केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि पंचायत घर के निर्माण पर केन्द्रित की जाती है, इसलिए एन्ड वित्त आयोग के अन्तर्गत जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उस सम्बन्धों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/विकास को वर्णिता दी जाएगी।

यहाँ यह अधिकृत किया जाता है कि शासकीय विद्यालयों में ननरेण खोजनों के अन्तर्गत शौचालय निर्माण, बालद्वावाल की किसान, वृक्षारोपण, खेलकूद के भैदान को विकास कर्त्ता अनुभव है। उन सपरिक्त घटों में कार्य ननरेण से भी कराया जा सकता है।

उक्त कार्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायत, पंचायती राज्य अधिनियम, 1947 के अध्याय-4 की धारा-15 में उल्लिखित कार्यों को भी आवश्यकतानुरूप करा सकती।

५- क्षेत्र पंचायती द्वारा कराये जाने याने कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उक्त सार्य वज्र सम्पूर्ण दायित्व संचित, क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायती द्वारा कार्यों का अनुग्रहन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का होगा।

पंचायती निर्माण कार्य निम्यावली, 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

६- जिला पंचायत, पंचायती राज्य वित्त संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि को आपने वर्गीकरियों के बेतन एवं पेशन आदि पर खुर्च कर सकेंगी। केंद्रीय संकाय संघर्षों के सेवानिवृत्ति

1- यह शासनादेश इतिहासिक जारी किया गया है, अतः इस पर उस्तोंपाएँ की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश नियम प्रसाचित करने वाले राज्य <http://shastriya.vicis.gov.in> से सम्बोधित की जा सकती है।

अधिकारियों/कर्मचारियों के पेशन वकोये के लिए जिस पंचायती के लिए अंतरित धनराशि का 1:0 प्रतिशत इस हेतु गठित परिषदामी निधि में दिया जायेगा। जिला पंचायत संकमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रखने वाले एवं सूजन पर व्यय करेंगी। नवसुजित जिला पंचायत जहाँ पर कार्यालय शब्द उपलब्ध नहीं हैं शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यवहार कर सकेंगी।

7. पंचायते उपने स्वामित्व वाले गो-आश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से वर्तगी।

8. विस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्पन्न एवं सुविधाये:-

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1113/33-2-2006-34जी0/01टी0सी0-11, दिनांक 20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या-6368/33-2-2006-34 जी0/2001 टी0सी0-11, दिनांक 26.12.2006 तथा शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी0 /01 टी0सी0-1, दिनांक 07.01.2014 एवं शासनादेश दिनांक-22.11.2016 प्रभावी रहेंगा। विस्तरीय पंचायतके पदाधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि आम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्षेत्रों अपनी गांव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसने राज्य नित्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को सम्मति की जाने वाली धनराशि आ समिलित है, से वहन वार सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से काइबुजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

9. पी0एफ0एम0एस0 चौं व्यवस्था लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही मेंकर चेकर व लाप्रवर द्वारा की जायेगी-

क्रमांक	गांवीण निकाय	मेकर	चेकर	लाप्रवर
1.	गांव पंचायत	गांव पंचायत सचिव	गांव पंचायत, प्रधान	सहायक विकास अधिकारी(वो)
2.	क्षेत्र पंचायत	खण्ड विकास अधिकारी	क्षेत्र पंचायत, प्रमुख	मुख्य विकास अधिकारी
3.	जिला पंचायत	अपर्स भुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत	निदेशक, पंचायती राजा

यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि पी0एफ0एम0एस0 की व्यवस्था धनराशि के अन्तरण के लिए ही है। विलोय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति सकाम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जानी चाहिए।

10. यह धनराशि खाता-गांव निधि-6 में रखी जायेगी, चूंकि 15वें वित्त आयोग के लिए पृथक खाता खोला गया है, अतः यह खाता केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि व्यय हो जाने के उपरान्त राज्य वित्त आयोग के लिए संचालित होगा। अतः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इसकानिकारी लारी वित्ती गया है, अतः इस पर विस्तारित की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://bhutanodeshi.prm.gov.bt> से रहियोगी की जाएगी।

संक्रमित की जा रही धनराशियों के उपयोग के सम्बन्ध में उकतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

सुख्या व. दिनोक:- तदेव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिकार कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा० मंत्री पंचायतीराज विभाग, ३०प्र०।
2. महालेखाकार, ३०प्र० इलाहाबाद।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ३०प्र० शासन।
5. आयुक्त, धाम्य विकास विभाग, ३०प्र० शासन।
6. स्टॉफ आपिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, ३०प्र०।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसमर्क विभाग, ३०प्र०।
9. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र प्रमुख एवं धाम्यप्रशान्त, ३०प्र०।
10. समस्त जिलाधिकारी, ३०प्र०।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, ३०प्र०।
12. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०) ३०प्र०।
13. समस्त जिला पंचायत नियमिकारी, ३०प्र०।
14. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ३०प्र०।
15. समस्त जिला काषाधिकारी, ३०प्र०।
16. समस्त सहायक विकास अधिकारी(प०), ३०प्र०।
17. विलत (पिछले नियन्त्रण) अनुभाग-२ ३०प्र० शासन।
18. विलत (आय-व्ययक) अनुभाग-२ ३०प्र० शासन।
19. विलत (संसाधन) आयोग अनुभाग, ३०प्र० शासन।
20. पंचायतीराज अनुभाग-१/२, ३०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

१- यह शासनादेश इनप्रदोषनमेवनीजादी कियो गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर चीजें उपर्युक्त नहीं हैं।

२- इस शासनादेश की प्रगतिप्राप्ति ऐवं संरेख <http://shasandesh.up.gov.in/> से जन्मापितों की जारीती है।